मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली-**110002**

वेबसाइट – www.esic.nic.in

सं॰: ई-13/12/12/2020- पी.आर. दिनांक: 21.12.2020

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>श्रीनगर में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का शिलान्यास</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने दिनांक 21.12.2020 को श्रीनगर में 100 बिस्तरों वाले क॰रा॰बी॰ निगम अस्पताल का शिलान्यास किया। श्री मनोज सिन्हा, माननीय उप-राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर समारोह के मुख्य अतिथि थे।

डॉ फारूक अब्दुल्ला, माननीय सांसद, लोक सभा, श्री फारूक खान, सलाहकार, माननीय उप-राज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर, श्री बी.वी. आर. सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर, श्री अपूर्व चंद्र, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और महानिदेशक, क॰रा॰बी॰ निगम और श्री सौरभ भगत, सचिव, श्रम एवं रोजगार, जम्मू एवं कश्मीर इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले अन्य गणमान्य अतिथि थे।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने भारत के श्रमिकों को बेहतर देखभाल और सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अपने संबोधन के दौरान हाल ही में पारित तीन श्रम संहिताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन बिलों के पारित होने से अधिक श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि ये बिल व्यापार करने में आसानी भी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने बताया कि क॰रा॰बी॰ निगम अपने बीमाकृत व्यक्तियों को, जो कम आय वाले श्रमिक हैं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार काम कर रहा है और अब इसकी पहुँच लगभग 13 करोड़ लाभार्थी आधार से कई गुना बढ़ने जा रही है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा संहिता के पारित होने के साथ ही, क॰रा॰बी॰ योजना देश में वर्तमान में अधिसूचित जिलों के स्थान पर पूरे देश में लागू की जाएगी।

माननीय मंत्री ने बताया कि क॰रा॰बी॰ निगम ने कोविड महामारी के दौरान बीमाकृत श्रमिकों और साथ ही आम जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 जनित लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए बीमाकृत श्रमिकों के लिए अटल बीमा कल्याण योजना के तहत देय बेरोजगारी राहत की दर को योग्यता मानदंड में छूट के साथ छह महीने की एक और अवधि के लिए अर्थात 30 जून, 2021 तक औसत मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी

राज्य बीमा निगम कोविड-19 के प्रबंधन में सक्रियता से योगदान दे रहा है । क्षेत्र की आम जनता को भी विशिष्ट तौर पर कोविड चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए देशभर में कुल 21 कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों ने कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के रूप में कार्य किया है ।

उन्होनें यह जानकारी भी दी कि ऐसे क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत के साथ सहभागिता की गई है । उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना "आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना" शुरू की गई है।

अपने भाषण में श्री मनोज सिन्हा, माननीय उप-राज्यपाल, जम्मू व कश्मीर ने संघ क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की । इसके अतिरिक्त उन्होनें जम्मू व कश्मीर के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया । उन्होनें नए अस्पताल के संचालन में जम्मू व कश्मीर प्रशासन के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया ।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और राज्य सरकार के सहयोग का आश्वासन दिया । परियोजना के एक वर्ष छः महीने में पूरी होने की उम्मीद है ।
जिस 100 बिस्तर के कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की आधारशिला रखी गई है, यह अस्पताल 5 एकड़ भूमि पर लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा । इस कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के चालू होने के बाद, मुख्यतः श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग और कुलगाम क्षेत्र के कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थियों को हताहत/आपातकालीन, बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग रोगी विभाग, वार्ड, नैदानिक सेवाएं, फार्मेसी, गहन देखभाल इकाई (आई.सी.यू.), शल्य-चिकित्सा कक्ष, आयुर्वेद और होम्योपैथी इकाई सहित और अन्य कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ।

<u>जम्मू और कश्मीर में क.रा.बी.योजना :</u>
जम्मू और कश्मीर में क.रा.बी.योजना पहली बार 1989 में 3 केन्द्रों जम्मू, कठुआ और श्रीनगर में लगभग 7000 श्रमिकों को व्याप्ति में लेने के लिए कार्यान्वित की गई थी। वर्तमान में यह योजना 8 जिलों के पूरे भौगोलिक क्षेत्र अर्थात जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, ऊधमपुर, श्रीनगर, बदगाम, पुलवामा और जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र के शेष 12 जिलों की नगरपालिका क्षेत्रों (जिला मुख्यालयों) में कार्यान्वित है। क.रा.बी.अधिनियम के अंतर्गत लगभग 6000 कारखानों/ स्थापनाओं को व्याप्त किया गया है। बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 1.33 लाख है।
जम्मू में एक शाखा कार्यालय और 05 औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों के माध्यम से बीमाकृत व्यक्तियों और उनके आश्रितजनों को नकद हितलाभ प्रदान किया जाता है। बारी-ब्रहमणा में स्थित 50 बिस्तरों वाले क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल, सांबा, 05 औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) और 08 क.रा.बी.औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा हितलाभ प्रदान किया जाता है। क्षेत्र में द्वितीयक देखरेख और अति-विशिष्ट उपचार तथा जांच के लिए कई नर्सिंग होम/ अस्पतालों / नैदानिक केन्द्रों के साथ टाई-अप व्यवस्था भी की गई है।

****